न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीण्डर, जिला – उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश सीरवी पुनाड़ियां R.A.S.

GCMS प्रकरण संख्या 2022/41
प्रकरण संख्या 14/22

अनवान

1. भेरूलाल पिता श्री मांगीलाल मीणा निवासी भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज0।

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार जी भीण्डर, जिला उदयपुर राज0।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एवं 131 भू. राजस्व अधिनियम 1956

—: :निर्णय: :— **दिनांक :—04.10.2022**

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एवं 131 भू राजस्व अधिनियम प्रस्तुत किया गया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मौजा भीण्डर पटवार हल्का भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज0 में साबिक आराजी नम्बर 5151/4 शा.न. 5094, 5095, 5099, 5110, 5131, 5150 किता 1 रकबा 6 बीघा 1 बिस्वा भूमि प्रार्थी भेरूलाल पिता मांगीलाल मीणा के नाम दर्ज थी जिसके नवीन सेटलमेंट के बाद आराजी नम्बर 6367, 6368, 6369, 6370, 6373 किता 5 रकबा 1.3100 हैक्टेयर बने। यह कि नवीन आराजी नम्बर अनुसार मिलान करने पर प्रार्थी की भूमि नवीन मौके की स्थिति अनुसार मेल नहीं खाती है। नवीन सेटलमेंट विभाग द्वारा राजस्व नक्शे में गलत तरमीम किये जाने से उसे दुरस्त किये जाने का निवेदन किया।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में तहसीलदार भीण्डर द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि :—

   I. राजस्व ग्राम भीण्डर की बंदोबस्त विभाग से पूर्व की स्थिति जमाबंदी संवत् 2068—71 के खाता संख्या 1088 के आराजी नं. 5151/4 शा.न. 5094, 5095, 5099, 5110, 5131, 5150 किता 1 रकबा 6 बीघा भूमि भेरूलाल पिता मांगीलाल मीणा सा. देह खातेदार (मय [illegible]) दर्ज रिकार्ड है।

   II. बंदोबस्त विभाग द्वारा भू प्रबंध कार्यवाही के पश्चात उपलब्ध कराये गए रिकार्ड अनुसार वर्तमान जमाबंदी संवत् 2078—81 में नवीन खाता संख्या 1087 के आराजी नं. 6367, 6368, 6369, 6370, 6373 किता 5 रकबा 1.3100 हैक्टेयर भूमि भेरूलाल पिता मांगीलाल मीणा सा. देह रिकार्ड है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.11.02 13:41:01 IST
Reason: SelfAttested

CamScanner

III. उपरोक्त खातेदारान की बंदोबस्त बाद की मौके की स्थिति अनुसार आराजी नम्बर 6370 में से रकबा 0.0500 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 6371 रकबा 0.9500 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 6372 में से रकबा 0.3100 हैक्टेयर कुल किता 3 रकबा 1.3100 हैक्टेयर पर प्रार्थी भेरूलाल पिता मांगीलाल मीणा मौके पर काबिज है। प्राप्त जांच रिपोर्ट अनुसार आराजी नम्बर 6370 में से रकबा 0.0500 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 6371 रकबा 0.9500 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 6372 में सें रकबा 0.3100 हैक्टेयर भूमि कुल किता 3 कुल रकबा 1.3100 हैक्टेयर भूमि भेरूलाल पिता मांगीलाल मीणा सा.देह एवं आराजी नं. 6367 रकबा 0.1200 हैक्टेयर, 6368 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, 6369 रकबा 0.7300 हैक्टेयर, 6370 में से 0.3000 हैक्टेयर, 6373 रकबा 0.0900 हैक्टेयर किता 5 रकबा 1.2600 हैक्टेयर भूमि नगरपालिका भीण्डर स्थानीय निकाय विभाग हिस्सा पूर्ण संस्था के नाम नक्शा ट्रेस C अनुसार प्रस्तावित की जाकर अनुशंषा की गई।

उपखण्ड अधिकारी, भीण्डर जिला-उदयपुर (राज.)

3. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी की बहस को सुना। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया व प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। हमने प्रार्थी की बहस पर मनन किया। प्रकरण में तहसीलदार भीण्डर से प्राप्त रिपोर्ट का अध्ययन किया। प्रार्थी के कथनानुसार जमाबंदी संवत् 2068–71 के खाता संख्या 1088 के आराजी नम्बर 5151/4 शा.न. 5094, 5095, 5099, 5110, 5131, 5150 किता 1 रकबा 6 बीघा 1 बिस्वा भूमि प्रार्थी भेरूलाल पिता मांगीलाल मीणा सा. देह के नाम दर्ज है। भू–प्रबंधन की कार्यवाही के पश्चात जमाबंदी संवत् 2078–81 के नवीन खाता संख्या 1087 के आराजी नम्बर 6367, 6368, 6369, 6370, 6373 किता 5 रकबा 1.3100 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज हुई। जिस पर प्रार्थी का कब्जा न होकर गलत तरमीम होने से दुरस्त किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण मे तहसीलदार भीण्डर की रिपोर्ट के अध्ययन से यह पाया की वर्तमान में प्रार्थी का कब्जा आराजी नम्बर 6370 रकबा 0.3500 हैक्टेयर में से रकबा 0.0500 पर, 6371 रकबा 0.9500, 6372 रकबा [illegible] में से रकबा 0.3100 पर है जिसमें वर्तमान में आराजी नम्बर 6371, 6372 [illegible] नगरपालिका भीण्डर स्थानीय निकाय के नाम दर्ज है। भू–प्रबंधन के पूर्व [illegible] के अनुसार प्रार्थी का कब्जा व जहाँ राजस्व रेकर्ड में तरमीम है उस जगह की [illegible] तरमीम की स्थिति बदल दी गई है। उक्त भू–प्रबंधन द्वारा जहां प्रार्थी का कब्जा है वहां तरमीम नहीं की जाकर पास की नगरपालिका की भूमि पर तरमीम की गई है। तहसीलदार भीण्डर द्वारा मौके अनुसार

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.11.02 13:41:01 IST
Reason: SelfAttested

CamScanner

आराजी नम्बर 6370 में से रकबा 0.0500 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 6371 रकबा 0.9500 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 6372 में से रकबा 0.3100 हैक्टेयर कुल किता 3 रकबा 1.3100 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी के कब्जे अनुसार गलत तरमीम होने से उक्त आराजी प्रार्थी भेरूलाल पिता मांगीलाल मीणा सा. देह के नाम व आराजी नम्बर 6367 रकबा 0.1200 हैक्टेयर, 6368 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, 6369 रकबा 0.7300 हैक्टेयर, 6370 में से रकबा 0.3000 हैक्टेयर, 6373 रकबा 0.0900 हैक्टेयर कुल किता 5 रकबा 1.2600 हैक्टेयर भूमि नगरपालिका भीण्डर स्थानीय निकाय के नाम दर्ज किया जाना प्रस्तावित किया। प्रकरण में माननीय जिला कलक्टर महोदय द्वारा समस्त न्यायिक (राजस्व) अधिकारियों को भू–प्रबन्धन विभाग द्वारा की गई त्रुटियों को राज्य सरकार द्वारा दिये गये निर्देशानुसार व माननीय राजस्व मण्डल के अपील/एल.आर./6933/2011/उदयपुर में दिये गये निर्णय एवं राजस्व ग्रुप–6 विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र कंमाक प.(12) राज. 16/92/26 दिनांक 20.12.1995 का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जिससे स्पष्ट है कि सेंटलमेंट के दौरान हुई त्रुटियों को सुधारा जाना आवश्यक है।

4. अतः उपरोक्त विवेचन एवं तहसीलदार भीण्डर की रिपोर्ट व अनुशंषा के आधार पर यह पाया गया की नवीन बंदोबस्त के पश्चात प्रार्थी की आराजी को मौके अनुसार तरमीम नहीं कर गलत तरमीम कर दिया गया जिसे तहसीलदार भीण्डर द्वारा मौके अनुसार रिपोर्ट प्रस्तुत कर सही तरमीम किया जाना प्रस्तावित किया। प्रकरण में तहसीलदार भीण्डर की रिपोर्ट के अध्ययन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी की प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात को साबिक नक्शे अनुसार तरमीम नहीं कर गलत तरमीम कर दिया गया है। प्रार्थी का मौके पर कब्जा अपनी साबिक आराजी अनुसार स्पष्ट है जिसे नगरपालिका भीण्डर स्थानीय निकाय के नाम दर्ज कर दिया गया। अतः नवीन सेटलमेट विभाग की त्रुटि से प्रार्थी की आराजीयात को मौके अनुसार तरमीम नहीं कर गलत तरमीम कर दिया गया है जिसे न्यायहित में सुधारा जाना आवश्यक है। तहसीलदार भीण्डर की रिपोर्ट, मौके की स्थिति, कब्जे व राजस्व दस्तावेज एवं राजस्व रेकर्ड के अनुसार तरमीम किया जाना प्रस्तावित किया। अतः प्रार्थी के कब्जे एवं भू–प्रबंधन के [illegible] व [illegible] तरमीम के अनुसार तरमीम शुद्धि किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः मौजा भीण्डर पटवार हल्का भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज0 की आराजी नम्बर 6370 रकबा 0.3500 हैक्टेयर जो वर्तमान मे प्रार्थी के नाम है में से रकबा 0.0500 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 6371 रकबा 0.9500 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 6372 रकबा 0.8200 हैक्टेयर में से रकबा 0.3100 हैक्टेयर कुल

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.11.02 13:41:01 IST
Reason: SelfAttested

CamScanner

किता 3 रकबा 1.3100 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी भेरूलाल पिता मांगीलाल मीणा सा. देह के नाम व आराजी नम्बर 6367 रकबा 0.1200 हैक्टेयर, 6368 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, 6369 रकबा 0.7300 हैक्टेयर, 6370 रकबा 0.3500 में से रकबा 0.3000 हैक्टेयर, 6373 रकबा 0.0900 हैक्टेयर कुल किता 5 रकबा 1.2600 हैक्टेयर भूमि नगरपालिका भीण्डर स्थानीय निकाय के नाम दर्ज किये जाने अतः प्रार्थी के नाम दर्ज कुल भूमि 1.3100 हैक्टेयर में से 1.2600 हैक्टेयर जंहा प्रार्थी न तो कब्जा है न ही भू–प्रबंधन के पुर्व उक्त भूमि पर तरमीम है उक्त भूमि स्थानीय निकाय के नाम दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है। आराजी नंबर 6371, 6372 जिसका कुल रकबा 1.7700 हैक्टेयर में से 1.2600 हैक्टेयर जहां प्रार्थी का कब्जा एवं सेटलमेंट के पूर्व उक्त जगह जंहा प्रार्थी की भूमि थी को सही किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः इस प्रकरण में भू–प्रबंधन विभाग द्वारा सेटलमेंट से पुर्व की तरमीम से भिन्न तरमीम जहां प्रार्थी का कब्जा ही नहीं है कर दी गई जिसकों दुरस्त किया जाकर भू–प्रबंधन के पुर्व की तरमीम जहां प्रार्थी का कब्जा भी है के अनुसार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

—: :आदेश: :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एवं 131 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा भीण्डर पटवार हल्का भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज0 की आराजी नम्बर 6370 रकबा 0.3500 हैक्टेयर जो वर्तमान में प्रार्थी के नाम है में से रकबा 0.0500 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 6371 रकबा 0.9500 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 6372 रकबा 0.8200 हैक्टेयर में से रकबा 0.3100 हैक्टेयर कुल किता 3 रकबा 1.3100 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी भेरूलाल पिता मांगीलाल मीणा सा. देह के नाम व आराजी नम्बर 6367 रकबा 0.1200 हैक्टेयर, 6368 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, 6369 रकबा 0.7300 हैक्टेयर, 6370 रकबा 0.3500 में से रकबा 0.3000 हैक्टेयर, 6373 रकबा 0.0900 हैक्टेयर कुल किता 5 रकबा 1.2600 हैक्टेयर भूमि नगरपालिका भीण्डर स्थानीय निकाय के नाम दर्ज किये जाने व प्रस्तावित नक्शा ट्रेस C अनुसार तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते है। पालना हेतु तहसीलदार भीण्डर को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Purbadia
Date: 2022.11.02 13:41:01 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय खुले ईजलास आज दिनांक 04.10.2022 को सुनाया गया।

CamScanner